रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33001/97

REGISTERED NO. D. L.—33001/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27, 1997/आश्विन 5, 1919

No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27, 1997/ASVINA 5, 1919

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1997

का.आ. 2387.—केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री आर. शुन्मुगराज, अधिवक्ता, मदुरै को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामलों के लिये मदुरै स्थित विशेष न्यायालय में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के नियमित मामलों सं. आर.सी. 3(ए)/88-मद्रास, आर.सी 35(ए)/88-मद्रास, आर.सी. 26(ए)/86-मद्रास, आर.सी. 51(ए)/89-मद्रास और आर.सी. 49(ए)/86-मद्रास में अभियोजन का तथा किसी अन्य न्यायालय में उनसे संसक्त अथवा आनुषंगिक किसी अन्य विषय का संचालन करने के लिये विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. 225/25/97-एवीडी-II(i)]

हरि सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 10th September, 1997

S.O. 2387.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Central Government hereby appoints Sh. R. Shunmugaraj, Advocate as Special Public Prosecutor for conducting the prosecution of Delhi Special Police Establishment Regular Cases No. RC-3(A)/88-MAS., RC-35(A)/88-MAS., RC-26(A)/86-MAS, RC-51(A)/89-MAS and RC-49(A)/86-Madras in the Special Court for CBI cases at Madurai and any other matter connected therewith or incidental thereto in any other court.

[No. 225/25/97-AVD.II(i)]

HARI SINGH, Under Secy.

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अनुसरण में और भारतीय चिकित्सा परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार :—

(i) इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि को या

(ii) उस अवधि को जिसके दौरान डा. गुस्तव डेग्रीफ मेहर निशुल्क औषधालय (मेहराजाद) अहमद नगर से संलग्न है, इनमें से जो भी अवधि लघुतर हो, उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिस तक उक्त डाक्टर का चिकित्सा व्यवसाय मेहर निशुल्क औषधालय के पूर्त कार्य के लिए सीमित होगा ।

[सं. वी 11016/5/96-एम ई (यू जी)]
एस. के. मिश्रा, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

ORDER

New Delhi, the 3rd September, 1997

S.O. 2417.—Whereas the medical qualification M.D. granted by the Columbia University, United States of America is a recognised medical qualification for the purpose of Section 14 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

And whereas, Dr. Gustav Degreef who possesses such qualification is for the time being attached to Mehar Free Dispensary (Meherazad), Ahmednagar for the purpose of Charitable work and not for personal gain;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 14 of the said Act, and after consultation with the Medical Council of India the Central Government hereby specifies :—

(i) a period of one year from the date of issue of this notification, or

(ii) the period during which Dr. Gustav Degreef is attached to Meher Free Dispensary (Meherazad), Ahmednagar;

whichever is shorter as the period for which the medical practice by the aforesaid Doctor shall be limited to the said Meher Free Dispensary for the purpose of Charitable work.

[No. V. 11016/5/96-ME(UG)]
S. K. MISHRA, Desk Officer

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1997

का. आ. 2418.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची में भाग 2 में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"फाजार्ट फर रेडियोलोजिसचा डाइग्नोस्टिक
रोस्टाक विश्वविद्यालय,
रिपब्लिक ऑफ जर्मनी,
एम डी,
लूइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन,
न्यू ओर्लिस, संयुक्त राज्य अमेरिका ।"

[सं. वा. 11015/2/96-एम. ई. (युजी)]
एस. के. मिश्रा, डैस्क अधिकारी

टिप्पण : भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (102 का 1956) की तीसरी अनुसूची के भाग II को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के भाग के रूप में भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II—खण्ड I, में सं 83, दिनांक 31 दिसम्बर, 1956 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

New Delhi, the 9th September, 1997

S.O. 2418.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medcial Council of India hereby makes the following further amendment in the Third Schedule to the said Act, namely :—

In the said Schedule, in part II, after the existing entries, the following entries shall be added, namely :—

"Facharzt fur Radiologische Diagnostik"
University of Rostock,
Federal Republic of Germany.
M.D.,
Louisiana State University School of Medicine,
New Orleans,
U.S.A.

[No. V-11015/2/96-ME (UG)]
S. K. MISHRA, Desk Officer

Note.—The Part II of the Third Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) was published as a part of the Indian Medical Council Act, 1956 in Part II, Section I of the Gazette of India (Extraordinary) vide issue No. 83, dated the 31st December, 1956.

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1997

का. आ. 2419.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 7 की उपधारा (4) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में, डा. सी. एम. जयकीर्ति को 13 मई, 1997 से 7 जुलाई, 1999 तक की अवधि के लिए डा. एस. कंथ की आकस्मिक रिक्ति पर बंगलौर विश्वविद्यालय की सीनेट द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया गया है ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसरण में भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 138, तारीख 9 जनवरी, 1960 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, शीर्षक "धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्वाचित" के अधीन क्रम